{उत्तर प्रदेश}² वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947¹ {उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 वर्ष 1947}

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 वर्ष 1950 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 वर्ष 1952 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1954 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1958 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 वर्ष 1963 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 वर्ष 1969 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 वर्ष 1972

द्वारा संशोधित

एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

{संयुक्त प्रान्त लेजिस्टलेटिव काउन्सिल तथा लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने क्रमशः 20 सितम्बर, 1947 ई0 तथा 15 नवम्बर, 1947 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश सन् 1947 ई० द्वारा अवस्थानुकूल परिवर्तित भारत—शासन विधान सन् 1935 ई० की धारा 76 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल में दिनाँक 15 दिसम्बर, 1947 ई० को स्वीकृति प्रदान की और संयुक्त प्रान्तीय शासकीय असाधारण गजट में दिनाँक 15 दिसम्बर, 1947 ई० को प्रकाशित हुआ।}

वासस्थान अधिग्रहण करने की शक्तियों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम}²

 $\{ * * * * \}^3$

एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाते हैं :-

1— $\{(1)$ —— यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947 कहलायेगा। $\}^4$

{संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ}⁵

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण {उत्तर प्रदेश} ⁶ में होगा।
- (3) [* * *]⁷
- (4) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- (5) [* * *]⁷

2-- जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में :--

परिभाषाएं

(क) ''वासस्थान'' से किसी भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :--

(एक) ऐसे भवन या भवन के किसी भाग से अनुलग्न उद्यान-स्थल तथा वाह्य गृह, यदि कोई हो; और

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए आसाधारण गजट, दिनॉक 09 सितम्बर, 1947 पृष्ठ 3–5 देखिये।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ३८, १९७२ की धारा २ (१) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{3.} उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा निकाली गयी।

उपर्युक्त की धारा 3 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{7.} उ०प्र० अधिनियम संख्या 19,1963 की धारा 3 (2) द्वारा निकाला गया।

[उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947]

धारा 3

- (दो) कोई फर्नीचर, जो ऐसे भवन के किसी भाग में प्रयोग के लिए स्वामी द्वारा दिया गया हो;
- {(ख) ''न्यायालय'' से ऐसे मुसिफ के न्यायालय अभिप्रेत है या जहाँ मुंसिफ न हो, वहाँ ऐसे सिविल न्यायाधीश के न्यायालय अभिप्रेत है, जिसकी अधिकारिता के भीतर वासस्थान स्थित हो;}¹
- {(खख) ''जिला न्यायाधीश'' से उस जिला न्यायाधीश से है, जिसकी अधिकारिता के भीतर वासस्थान स्थित हो;}²
 - (ग) ''जिला मजिस्ट्रेट'' से अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
 - (घ) "अध्यासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके वास्तविक अध्यासन में वास्थान हो;
 - (ङ) "स्वामी" के अन्तर्गत सकब्जा बन्धकदार, न्यासी, रिसीवर या संरक्षक भी है।
- {3—— (1) जहाँ जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि किसी ऐसे सार्वजिनक प्रयोजन के लिए, जो भारत संघ के प्रयोजन के लिए न हो, किसी वासस्थान की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है और वासस्थान का अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो जिला मजिस्ट्रेट—

अधिग्रहण की शक्ति

- (क) लिखित नोटिस द्वारा (जिसमें अधिग्रहण करने का प्रयोजन उल्लिखित होगा) वासस्थान के स्वामी तथा अध्यासी को भी ऐसा नोटिस उस पर तामील किये जाने के दिनाँक से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वासस्थान अधिगृहीत कर लिया जाय; और
- (ख) आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि न तो वासस्थान का स्वामी और न कोई अन्य व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, दो माह से अनिधक ऐसी अविध की, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्ति तक न तो वासस्थान का निस्तारण करेगा, न उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा और न उसे किसी किरायेदार को किराये पर देगा।
- (2) यदि वासस्थान के स्वामी या अध्यासी द्वारा बताए गए कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित आदेश द्वारा वासस्थान का अधिग्रहण कर सकता है और ऐसे अग्रत्तर आदेश दे सकता है, जो उसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा वासस्थान या उसका भाग –

- (क) जो उसके स्वामी द्वारा अपने अथवा अपने परिवार के निवास स्थान के रूप में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता हो; या
- (ख) जो या तो जनता द्वारा धार्मिक पूजा के लिए अथवा स्कूल, अस्पताल, सार्वजिनक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में अथवा ऐसे पूजा स्थल या ऐसे स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय अथवा अनाथालय का प्रबन्ध करने से सम्बद्ध व्यक्तियों के वासस्थान के प्रयोजनार्थ एकान्तिक रूप से प्रयोग किया जाता है, अभिगृहीत नहीं किया जाएगा:

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या १९,१९६३ की धारा ३ (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा अन्तर्विष्ट।

(उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947)

धारा 4-8}

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिगृहीत वासस्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किए जाने के दिनाँक से तत्काल पूर्व कम से कम दो मिहने पहले से निवास स्थान के रूप में किया जा रहा हो तो जिला मिजस्ट्रेट ऐसे किरायेदार के हित में वैकल्पिक वासस्थान की, जो उनकी राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगी।

- (3) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस तामील किए जाने के सम्बन्ध में धारा 4 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार के उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश तामील किए जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।}
- 4— अधिग्रहण आदेश वासस्थान के स्वामी पर तथा अध्यासी पर भी, यदि कोई हो, उस आदेश की प्रति ऐसे स्वामी या अध्याशी को देकर तामील किया जाएगा, किन्तु यदि स्वामी या अध्यासी का तत्काल पता न चलता हो और आदेश बिना अनुचित विलम्ब के तामील न किया जा सकता हो या यदि स्वामित्व विवादग्रस्त हो या सरलतापूर्वक सुनिश्चित न किया जा सकता हो तो आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित करके तथा उसकी प्रति वासस्थान के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाकर तामील किया जाएगा।

आदेश का तामील किया

5— जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा अधिगृहीत वासस्थान के स्वामी को या तो सकल धनराशि के रूप में नियतकालिक भुगतानों द्वारा ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगा, जो उसके और स्वामी के बीच करार पाया जाये। करार द्वारा प्रतिकर

6— (1) यदि धारा 5 में यथाविर्निदिष्ट करार न हो सके तो ऐसे प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा, जो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे किए गए निर्देश पर अवधारित करे।

न्यायालय को निर्देश

(2) निर्देश का विनिश्चय करने में न्यायालय, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 की उपधारा (1) के उपबन्धों का, वहाँ तक जहाँ तक कि वे लागू हो सके तथा वास्थान को रिक्त कराने में किए गए उचित कार्यों को भी, यदि कोई हो, ध्यान रखेगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वादों पर लागू होने वाली प्रक्रिया का यथासम्भव अनुसरण करेगा। न्यायालय का विनिश्चय डिक्री के समान प्रभावी होगा।

1908 का अधिनियम सं0 5

[7—— (1) इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला न्यायाधीश को तीस दिन के भीतर की जा सकेगी। न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपीलें

(2) इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 4, 5 तथा 12 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन की अपीलों पर लागू होंगे।}²

1908 का ऐक्ट 9

8— (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अधिगृहीत कोई वासस्थान अधिग्रहण से नियुक्ति किया जाना हो तो जिला मजिस्ट्रेट उसे उस व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त कर देगा, जिससे वह अधिगृहीत किया गया था (और उसका कब्जा उसे दे देगा।) यदि अधिग्रहण के दिनाँक को वासस्थान कब्जा सिहत बन्धक के अधीन था और उसके पश्चात् बन्धक का मोचन किया जा चुका हो या उसका अन्यथा भुगतान किया जा चुका हो या यदि वासस्थान किसी रिसीवर, न्यासी या संरक्षक द्वारा घृत था और यथास्थिति, रिसीवर, न्यासी या संरक्षक उन्मोचित किया जा चुका हो या उस व्यक्ति की, जिससे वासस्थान अधिगृहीत किया गया था, मृत्यु हो चुकी हो तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसी जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसे उसका कब्जा दिया जाएगा।

अधिग्रहण से निर्मुक्त किया जाना

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ३८,१९७२ की धारा ४ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उ०प्र० अधिनियम संख्या 19,1963 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

उपर्युक्त की धारा 5(एक) द्वारा अन्तर्विष्ट।

धारा १

- {(1—क) उपधारा (1) के अधीन वासस्थान पर कब्जा देने के प्रयोजनों के लिए जिला मिजस्ट्रेट नियमों द्वारा विहित रीति से उन सभी व्यक्तियों को बेदखल करेगा या कराएगा, जिनका वासस्थान पर, उसे अधिग्रहण से निर्मुक्त किए जाने के समय कब्जा हो और ऐसा करने में वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा, जो आवश्यक हो।
- (2) उपधारा (1) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे वासस्थान का कब्जा दिए जाने तथा उसके लिए प्रतिकर का भुगतान किए जाने से वासस्थान के सम्बन्ध में {राज्य सरकार} या जिला मजिस्ट्रेट की सम्पूर्ण दायित्व से पूर्ण उन्मुक्ति हो जाएगी, किन्तु इससे वासस्थान के सम्बन्ध में किन्हीं ऐसे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे कब्जा दिया गया हो या प्रतिकर का भुगतान किया गया हो, प्रवृत्त कराने का हकदार हो।
- (3) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन वासस्थान का कब्जा दिया जाना हो, न मिल सकता हो और उसका कोई ऐसा अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति न हो जो उसकी ओर से कब्जा लेने के लिए सशक्त हो तो जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाला, कि वासस्थान को अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिया गया है, नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित करा सकेगा।
- (4) जब उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस प्रकाशित हो गया हो तो नोटिस में विनिर्दिष्ट वासस्थान, गजट में नोटिस के प्रकाशन के दिनाँक से ही अधिग्रहण के अधीन न रह जाएगा और उसके सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि उसका कब्जा उस व्यक्ति को दे दिया गया है, जो उसका कब्जा पाने का हकदार हो और {राज्य सरकार} या जिला मजिस्ट्रेट का उस वासस्थान के सम्बन्ध में ऐसे दिनाँक के पश्चात् की किसी अविध के लिए किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्व न होगा।
- {(5) इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को वासस्थान के केवल किसी भाग को अधिग्रहण से निर्मुक्त करने से निवारित न करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट स्वामी की सहमति से वासस्थान के केवल किसी भाग को अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दे तो वह उसे प्रतिकर समबन्धी या अन्यथा, ऐसी शर्तों के अधीन निर्मुक्त करेगा, जो उसके और स्वामी के बीच करार पाई जाये :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि वासस्थान के केवल किसी भाग को स्वामी की सहमित के बिना अधिग्रहण से विमुक्त किया जाय या यदि निर्मुक्त किए जाने की शर्तों के सम्बन्ध में परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट करार न हो सके तो स्वामी को देय प्रतिकर में ऐसी कमी, यदि कोई हो, की जाएगी, जो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे किए गए निर्देश पर अवधारित करे और धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध ऐसे निर्देश पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।}3

9— कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम की या तदधीन दिए गए किसी आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन कब्जा लिए जाने में बाधा डालेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक का हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

शास्ति

- 1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 19, 1963 की धारा 5 (दो) द्वारा बढाई गई।
- 2. एडेप्टेशन आफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविशियल गवर्नमेन्ट के लिए)
- 3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 19, 1963 की धारा 5 (तीन) द्वारा बढाई गई।

(उत्तर प्रदेश वासंस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947)

धारा 10-15-क}

10— {(1)}¹ यदि जिला मजिस्ट्रेट का इस अधिनियम के अधीन किसी वासस्थान को अधिगृहीत करे तो लिखित नोटिस द्वारा स्वामी को किसी भी समय यह आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी मरम्मत और ऐसी अवधि के भीतर करे, जिन्हें नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये।

मरम्मत किए जाने का आदेश देने की शक्ति

- {(2) स्वामी से सामान्यतया यह अपेक्षा न की जाएगी कि वह किसी एक वर्ष में ऐसी लागत पर मरम्मत करे, जो वासस्थान के एक माह के किराया—मूल्य से अधिक हो। यदि जिला मजिस्ट्रेट के मतानुसार वासस्थान में किसी विशेष मरम्मत की आवश्यकता हो और सम्भावना यह हो कि वर्ष में सभी मरम्मत की कुल लागत वासस्थान के एक माह के किराया—मूल्य से अधिक हो जाएगी और स्वामी ऐसी मरम्मत करने के लिए सहमत न हो तो जिला मजिस्ट्रेट उस विषय को न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो ऐसा आदेश और ऐसी शर्तों पर, जिनके अन्तर्गत प्रतिकर के मुगतान से सम्बन्धित शर्त भी है, देगा, जो वह आवश्यक समझे।}
- 11— (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश का पालन नहीं करता तो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के आवेदन पर उस आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा पारित की गयी कोई डिकी हो।

अनुपालन न किए जाने की दशा में आदेश का निष्पादन

- (2) यदि स्वामी धारा 10 के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में कोई मरम्मत नहीं करता तो जिला—मजिस्ट्रेट ऐसी मरम्मत करा सकेगा और वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी लागत स्वामी को देय प्रतिकर में से काटी जा सकेगी।
- 12— जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस बात को अवधारित करने के प्रयोजन से कि धारा 3 के अधीन आदेश दिया जाए या नहीं, किसी भूगृहादि में, उचित नोटिस देने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और ऐसे भूगृहादि का या उस पर स्थित किसी सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकेगा।

प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति

13— तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित में या विधि का प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में किसी प्रतिकृल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे। अन्य अधिनिमितियों से असंगत उपबन्धों का प्रभाव

14— इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशगित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए परित्राण

15— कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध को संघटित करने वाले तथ्य की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान कम्पनियों द्वारा अपराध

[15—क— (1)—— यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किए जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उनके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार वह अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दण्ड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक उपाय किए। (उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947)

धारा 16-18}

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमित से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो ऐसा डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

- (क) 'कम्पनी' से किसी नियमित निकाय अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और
- (ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'डाइरेक्टर' से उस फर्म के भागीदार अभिप्रेत है। 1

16— इस अधिनियम से, जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके किए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जाएगा।

आदेशों पर किसी न्यायालय में आक्षेप न किया जाना

 $17-\{(1)\}^2--\{$ राज्य सरकार $\}^3$ इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

{(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो सकता है, रखे जाएंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनाँक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।}²

विधान मण्डल के समक्ष नियमों आदि का रखा जाना

18— कोई आदेश, जो यूनाइटेड प्राविंसेज एकोमोडेशन रिक्वीजिशन आर्डिनेन्स, 1947 के अधीन किया गया हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बना रहेगा और इस अधिनियम के अधीन किया गया आदेश समझा जायेगा।

आदेश का जारी रहना

^{1.} उ०प्र० अधिनियम संख्या ३८, १९७२ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 6 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित बढ़ाई गई।

^{3.} एडेप्टेशन आफ लाज आर्ड, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

THE [UTTAR PRADESH]² ACCOMMODATION REQUISITION ACT, 1947¹

[U. P. Act No. XXV of 1947]

Amended by the

U. P. Act. No. XIII of 1950

U. P. Act No. XXII of 1952

U.P. Act NO: XV of 1954

U. P. Act No. XXIX of 1558.

U. P. Act .No. XIX of 1963.

U. P. Act No. XII of 1969

U. P. Act No. XXXVIII of 1972

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950.

[Passed by the United Provinces Legislative council on September 20, 1947 and by the United Provinces Legislative Assembly on November 15, 1947.

Received the assent of the Governor General on December 15, 1941, under section 76 of 'the Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and was published in, the, United Provinces, Government Gazette Extraordinary, dated December 15, 1947]

[AN ACT

to provide for powers to requisition, accommodation.]²

It is hereby enacted as follows:

[Short title extent and commencement]⁵

- Γhis Act may be called the Uttar Pradesh Accommodation Requisition Act, 1947.]⁴
 - (2) It extends to the whole of [Uttar Pradesh] ⁶.
 - $(3) [***]^7$
 - (4) It shall come into force at once.
 - $(5) [***]^7$

Definitions

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context--
 - (a) "Accommodation" means any building or part of a building and includes--
 - (i) the garden grounds and Outhouses if any, appertaining to such building or part of a building; and
- 1. For S. O. R. see Gazette Extra. dated September 9,, 1947 P: 3-5.
- 2. Subs., by section 2 (1) of U. P. Act No. 38 of 1972.
- 3. Omitted by section 2 (2) ibid.
- 4. Subs. by section 3 (i) ibid.
- 5. Subs by section 3 (iii) ibid.
- 6. Subs. by the A. O. 1950 for (United Provinces).
- 7. Omitted by Section 3 (ii) of U. P. Act 38, 1972,

- (ii) any furniture supplied by the owner for use in such building or part of a building;
- [(b) "Court" means the Court of munsif or where there is no Munsif, the Court of Civil Judge, in whose territorial jurisdiction the accommodation lies;]¹
- [(bb) "District Judge" means the District Judge in whose territorial jurisdiction the accommodation lies;] 2
- (c) "District Magistrate" includes an Additional District Magistrate;
- (d) "Occupier" means a person in actual occupation of the accommodation;
- (e) "Owner" includes a mortgagee in possession, trustee, receiver or guardian.

Power of requisition

- 3. Where the District Magistrate is of opinion that any accommodation is needed or likely to be needed -for any public purpose, not being a purpose of the Union, and that the accommodation should be requisitioned, the District Magistrate--
 - (a) shall call upon the owner as well as the occupier of the accommodation by notice in writing (specifying therein the purpose of the requisition) to show cause within fifteen days of the date of the service of such notice on him, why the accommodation should not be requisitioned, and
 - (b) may, by order direct that neither the owner of the accommodation nor any other person shall, without permission of the District Magistrate, dispose of or structurally alter, the accommodation or let it out to a tenant until the expiry of such period not exceeding two months, as may be specified in the order.
 - If, after considering the cause, if any, shown by the owner or occupier of the accommodation the District Magistrate o is satisfied that it is necessary or expedient to do, he may by order in writing, requisition the accommodation and may make such further orders as appear to him to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no accommodation or part thereof---

- (a) which is bona fide used by the owner thereof as the residence of himself or his family, or
- (b) which is exclusively used either for religious worship by the public or as a school, hospital, public library or an or phage or for the purpose of accommodating persons connected with the management of such place of worship or such school, hospital, library or orphanage, shall be requisitioned:

^{1.} Subs. by Section 3 (1) of U. P. Act 19 1963.

^{2.} Inserted by section 3 (2) ibid.

[The Uttar Pradesh Accommodation Requisition Act, 1947]

[Section 4-8]

Provided further that where the requisitioned accommodation or part thereof is being used as a residence by a tenant for not less than two months immediately preceding the date of the service of notice and sub-section (1) the District Magistrate shall provide such tenant with alternative accommodation which, in his opinion is suitable.

The provisions of section 4 shall apply in relation to service of a notice under clause (a) of sub-section (1) as they apply in relation to service of an, order under clause (b) of that sub-section.]¹

Service of order

4. The order of requisition shall be served On the owner as well as the occupier, if any, of the accommodation by delivering to such owner or occupier a copy of the order, but where the owner or the occupier is not readily traceable and the order cannot be served without undue delay, or where the ownership is in dispute or cannot be easily ascertained the order shall be served by publication in the official Gazette, and by affixing a copy thereof on any conspicuous part of the accommodation.

Compensation by agreement

5. The District Magistrate shall pay to the owner of the accommodation requisitioned by him such compensation, either in a gross sum of money or by periodical payments, as may be agreed upon between him and the owner.

Reference to court Act V of 1908

6. Where no agreement as specified in section 5 is reached such compensation shall be paid as may be determined by the Court on a reference made to it by the District Magistrate.

The Court, in deciding the reference, shall have regard to the provisions of subsection (1) of section 23of the Land Acquisition Act, 1894 in so far as the same may be applicable and also to the reasonable expenses, if any, incurred in vacating the accommodation and shall as far as possible follow the procedure applicable to suits under the Code of Civil Procedure, 1908. The decision of the Court shall have the force of a decree.

[Appeals against orders of the court Act IX of 1908

7. An appeal from a decision Of the Court under this Act shall lie to the District Judge within thirty days.

The provisions of section 4, 5 and 12 of the Indian Limitation Act, 1908 shall be applicable to, appeals under this Act.]²

Release from requisition

8. Where any accommodation requisitioned under this Act is to be released from requisition, the District Magistrate shall release it in favour of the person from whom, it was requisitioned [and deliver possession thereof to him]³ If the accommodation was subject to mortgage with possession on the date of requisition and the mortgage has since been redeemed or otherwise paid off, or if the accommodation was held by a receiver, trustee or, guardian and the receiver, trustee or, guardian as the, case may, be has been discharged or the person from whom it was requisitioned is dead, the District Magistrate may, after making such enquiry, if any as he may consider necessary, specify by order in writing the person to whom possession thereof shall be delivered,

^{1.} Subs. by Section 4 of U. P. Act 38, 1972

^{2.}Subs. by Section 3 of U. P. Act 19, 1963

^{3.}Inserted by Section 5 (i) ibid.

- [(1-A) For purposes of delivery of possession of the accommodation under subsection, (1) the District Magistrate shall in the manner prescribed by rules evict or cause to be evicted all persons who might be, in occupation of the accommodation at the time of its release from requisition, and in doing so, he may use such, force as may be necessary.]¹
- (2) The delivery of possession of, and payment of compensation, for such accommodation to a person specified in, the order under sub-section (1) shall be full discharge of the [State Government] ² or the District Magistrate from all liability in respect of the accommodation, but shall not prejudice any rights in respect of the accommodation which any other person may be entitled to enforce against the person to whom possession is delivered or compensation is paid.
- (3) Where the person to whom possession of accommodation is to be delivered under sub-section (1) cannot be found Land has no agent or other person empowered to accept delivery of possession, on his behalf, the District Magistrate may cause a notice, declaring that the accommodation is released from requisition, to be published in the official Gazette.
- (4) When the notice referred to in sub-section (3) has been published, the accommodation specified in the notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of the publication of the notice in the Gazette, and shall be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof, and the [State Government] or the District Magistrate shall not be liable for any compensation or other claim in respect of the accommodation for any period after such date.
- [(5) Nothing in this section shall prevent the District Magistrate from releasing from requisition only a part of the accommodation:

Provided that where the District Magistrate releases from requisition only a part of the accommodation with the concurrence of the owner, the release shall be on such terms as to compensation or otherwise as may be, agreed upon between him and the owner:

Provided further that where the release from requisition of only a part of the accommodation is without the concurrence or the owner or where no agreement as specified the first proviso as to the terms of the release is reached, such reduction, if any, shall be made in the, compensation payable to the owner as may be determined by the court on a reference made to it by the District Magistrate and the provisions of sub-section (2) of, section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such reference.]³

Penalty

9- Any person, who contravenes any provision of this Act or of any order made thereunder, or who obstructs the taking of possession under this Act, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

^{1.} Added by section 5 (ii) of U. P. Act 19 of 1963.

^{2.} Subs. by A. O. 1950 for (provincial Government).

^{3.} Added by section 5 (iii) of U. P. Act 19, 1963

[The Uttar Pradesh Accommodation Requisition Act, 1947]

[Section 10-15A]

Power order repairs

- 10.
- [(1)]¹ Where, the District Magistrate requisition any accommodation tinder this Act, he may at any time by notice in writing order the owner to execute such repairs, and within such time, as may be specified in the notice.
- [(2) The owner shall not ordinarily be required to execute repairs at a cost exceeding one month's letting value for the accommodation In a year If, in the opinion of the District Magistrate the accommodation needs any special repairs and the aggregate cost of all repairs is in any year likely to exceed one month's letting value of the accommodation and the owner does not agree to carry out such repairs, the District Magistrate may refer the matter to the, Court which shall make, such order and on such terms, including those relating to payment of compensation as it may consider necessary.]¹

Execution of order in case of non-compliance

- 11. (1) If any person fails to comply with any order made under section 3 the Court shall on the application of the District Ma-gistrate, execute the order as if it were a decree passed by that Court.
 - (2) If the owner fails to execute any repairs in pursuance of an order made under section 10, the District Magistrate may cause such repairs to be executed, and the cost thereof may, without prejudice to any other made of recovery, be deducted from the compensation payable to the owner.

Power of entry and inspection

12. The District Magistrate or any person authorized by him in this behalf may after giving reasonable notice, enter any premises and inspect such premises or any property thereon for the purpose of determining whether an order under section 3 may be made.

provisions inconsistent with other enactments Protection of action taken under the

Effect of

13. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any enactment for the time being in force or any instrument having the force of law.

14. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in, pursuance of any order made under this Act.

Cognizance of offences under the Act

Act

No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the fact constituting such offence made by the District Magistrate.

Offences by 15-A companies

15-

(1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time or the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against arid punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without, his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been-committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable or any neglect on the part of, any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be-guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- For the purposes of this section-

- (a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals, and
 - (b) "Director", in relation to a firm means a partner in the firm.]

Orders not to be questioned in any court 16. Except as provided in this Act no order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Rule making power Laying of rules, etc. before Legislature

- 17. [(1)]² The [State Government]³ may, by notification in the official Gazette, make rules to give effect to the purposes of this Act.
 - [(2) All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall unless, some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.]²

Continuance of order

18. Any order made under the United Provinces accommodation Requisition Ordinance, 1947 and in force immediately before the commencement of this Act shall continue to be in force and be deemed to be an order made under this Act.

^{1.} Inserted by section 5 of U. P. Act 38 of 1972.

^{2.} Renumbered as sub-section (1) and added by section 6 ibid.

^{3.} Subs. by A. O. 1950 for (Provincial Government).